



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

वैधता अवधि-31.12.2017 तक मान्य

संदर्भ संख्या.....

सी-5 / एनओसी-636 / 14

दिनांक, 12-8-14

सेवा में,

मै0 एक्सपेरियन डवलपर्स एण्ड एक्सपेरियन हास्पिटलिटी प्रा0लि0,
टी.सी. जी-1 / ए.वी.-6 व टी.सी. जी-1 / ए.वी.-7,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17.06.14 का संदर्भ लें। परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल:

मै0 एक्सपेरियन डवलपर्स एण्ड एक्सपेरियन
हास्पिटलिटी प्रा0लि0,
टी.सी. जी-1 / ए.वी.-6 व टी.सी. जी-1 / ए.वी.-7,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

(ख) उत्पादन:

प्लाट एरिया- 27,573.95 वर्गमीटर
बिल्ट अप एरिया - 1,24,092.21 वर्गमीटर
रेजीडेन्शियल कम कामर्शियल काम्पलेक्स व
मल्टीप्लेक्सज

(ग) मुख्य कच्चे माल:

गिट्टी , ईटा, सरिया, सीमेन्ट, मौरंग बालू इत्यादि।

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा: शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:

2000 के०वी०ए० x 4 डी०जी० सेट
1010 के०वी०ए० x 1 डी०जी० सेट
750 के०वी०ए० x 1 डी०जी० सेट
डीजल आवश्यकतानुसार।

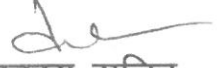
उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, सयंत्र हरित पट्टिका, एस०टी०पी० तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
4. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
5. घरेलू जल मल के शोधन हेतु 360 के०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० लगाया जाये तथा एस०टी०पी० की डिजाईन/डिटेल्स एक माह में प्रस्तुत की जाये।
6. परियोजना का निर्माण कार्य पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये एवं प्राप्त स्वीकृति की प्रति बोर्ड में प्रस्तुत की जाये।
7. एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह को डुवैल फ्लेशिंग सिस्टम (Dual Flushing System) के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाये तथा अवशेष उत्प्रावह को सिंचाई व डी०जी० कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये तथा किसी भी दशा में शुद्धिकृत/अशुद्धिकृत उत्प्रावह को परिसर से बाहर निस्तारित न किया जाये।
8. परियोजना से जनित म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट के सुरक्षित एकत्रण एवं शुद्धीकरण हेतु भूमि चिन्हित कर वर्मी कम्पोस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये तथा प्रस्ताव एक माह में बोर्ड में जमा किया जाये।
9. परियोजना का संचालन बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित करें।
10. परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
11. परियोजना में नियमानुसार ग्रीन बेल्ट की स्थापना की जाये।
12. परियोजना में बिना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हाट मिक्स प्लान्ट की स्थापना न की जाये।
13. परियोजना में विद्युत ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर पैनल एवं लाइट का

14. परियोजना में प्रस्तावित डी.जी. सेट पर मानको के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जाये तथा डी0जी0 सेट से जनित वेस्ट आयल प्राधिकृत संस्था को ही दिया जाये।
15. परियोजना की स्थापना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व निर्गत मैप एक माह में बोर्ड में जमा किया जाये।
16. परियोजना के निर्माण के समय जनित धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में जनित स्रोतों पर वाटर स्प्रेकलर व परिसर में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(सर्किल-5)

To,

Date: 21.12.2017

Member Secretary
U.P. Pollution Control Board
T.C.- 12 V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow
U.P.

Sub.: Extension of validity period of consent to establish (CTE) dated 12.08.2014

Reference: - 1. C T E No. F47502/C-5/NoC-636/14 dated-12.08.14.

2- Environmental Clearance No 50/Parya/SEAC/3723/2016 dated 12 December 2017.

3. Office order No -F-82601/184/2016 dated - 28/06/2016.

Respected Sir,

M/s Experion Developers Pvt. Ltd. is going to construct a new mixed use project at Plot no. TCG/1-A-V-6 & TCG/1-A-V-7, Gomti Nagar Phase-1, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow. The required No Objection Certificate (CTE) from UPPCB was obtained to start the construction work at site on 12-08-2014, vide letter no. F47502/C-5/NoC-636/14 (copy enclosed). The validity of the above said CTE has been mentioned till 31.12.17. As the project is having built up area of more than 20,000 m², the project is falling under the purview of Environment Clearance as per EIA Notification -2006. As a law abiding citizen, we applied for Environment Clearance before start of construction at site and the Project has been awarded Environment Clearance vide letter No. 50/Parya/SEAC/3723/2016 Dated 12 December 2017 from UP SEIAA (Copy enclosed).

Keeping in view the above scenario we would like to bring to your kind notice to the office order issued by UPPCB Dated 28/06/2016 which states about the validity of the CTE for the project to be five years from the date of issue of CTE and the deemed single time auto-renewal of validity of CTE for 2 years.

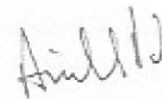
Now after obtaining all necessary NOC's and Environment Clearance we are ready to start the construction work at site. However, the validity of the CTE from Pollution Control Board is going to expire on 31.12.17. Further, as the Environment Clearance awarded to the project have a validity period of 7 years from the date of issue i. e. 12 December 2017, it is essential in the interest of natural justice that the validity of CTE (NOC) be also extended till the validity of EC, i.e. till 2024 to complete the construction work at site.

हाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 22/12/17
प्रदाता के हस्ताक्षर
आर.व. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

Therefore, it is requested that your Honor may kindly extend the validity of CTE(NOC) issued vide letter no. F47502/C-5/NoC-636/14 dated-12.08.14, till December 2024, similar to the validity of EC issued on 12 December 2017 pertaining to the project.

Thanking you in anticipation.

Yours sincerely



Authorized Signatory

Encl. as above:-

CC:

✓ 1. Chief Environmental Officer, Circle-V, UP Pollution Control Board, T. C -12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow

2. Regional Officer, Picup Bhawan, B-Block, 4th floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.